330

# भवन निर्माण विभाग

## बिहार, पटना

:: सकारण आदेश ::

का0आ0सं0- दिनांक- 21.12.16

संवेदक श्री अशोक कुमार वल्द श्री आनन्दी प्रसाद, ग्राम- गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स, जिला-कटिहार, बिहार जिनका निबंधन संख्या- द्वितीय(व्यक्तिगत)/08(भवन)/2009-71(भवन)/2014 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंगरा चौक अस्पताल में घटिया निर्माण कार्य कराने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, ख़गड़िया एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया द्वारा कालीकृत करने की अनुशंसा प्रेषित कये जाने के कारण विभागीय पत्रांक- 8312 दिनांक-07.08.14 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण माँग की गयी, अनुपालन में संवेदक द्वारा दिनांक-05.09.14 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया द्वारा प्रेषित मंतव्य/प्रतिवेदन में संवेदक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा प्रेषित की गई । अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिय के अनुशंसा के आलोक में संवेदक का कृत बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क)(ii) में वहित प्रावधान के अनुरूप विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-87 दिनांक- 21.04.16 सहपठित ज्ञापांक- 3645(भ) दिनांक- 21.04.16 द्वारा कालीकृत किया गया ।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक- 02.05.2016 को प्रधान सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया गया । जिस पर सुनवाई के पश्चात् अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश अंकित किया गया कि "The matter is therefor remanded back to Engg. in Chief to pass fresh order, after issuing specific show cause notice indicating therin the facts of violation of rules. such order should be passed in 1month."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या- 258 दिनांक-27.09.2016 सहपठित ज्ञापांक- 9580(भ) दिनांक-27.09.2016 द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश सं0-87 दिनांक-21.04.2016 सहपठित ज्ञापांक-3645(भ) दिनांक- 21.04.16 द्वारा कालीकृत संबंधी आदेश को विलोपित करते हुये विभागीय पत्रांक-10963(भ) दिनांक-10.11.16 द्वारा पुनः संवेदक से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंगरा चौक अस्पताल में घटिया निर्माण कार्य करने एवं एकरारनाम के अनुरूप कार्य नहीं करने के संबंध में बिन्दुवार अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर देने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक-15.11.16 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-11623(भ) दिनांक-01.12.16 द्वारा संवेदक को भागलपुर जिला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंगरा चौक के भवन निर्माण कार्य की निगरानी

विभाग द्वारा की गई जाँच एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया द्वारा पत्रांक-124अनु0 दिनांक-06.02.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संवेदक द्वारा प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराने के कारण लिये गये अधिक भुगतान की आकलित राशि रूपये 1,87,721.00(एक लाख सतासी हजार सात सौ ईक्कीस) मात्र को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया के कार्यालय में जमा कराने का निदेश दिया गया जिसमें अनुपालन में संवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, कटिहार का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-810819 दिनांक- 02.12.2016 द्वारा जमा करा दिया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया ने अपने पत्रांक- 408 दिनांक- 02.12. 2016 द्वारा राशि जमा कर दिये जाने की सूचना दी गई है ।

संचिका में उपलब्ध तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन एवं संवेदक के स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भवन के उद्घाटनकर्त्ता (श्री नरेन्द्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, माननीय विधायक) द्वारा उद्घाटन की तिथि दिनांक-17.12.2009 के छः माह पश्चात निर्माण कार्य में घटिया ईट, कम सीमेंट प्रयोग एवं कम मुटाई की छड़ों के प्रयोग संबंधी शिकायत करने के फलस्वरूप तकनकीकी परीक्षक कोषांग द्वारा जॉच किया गया है । जबकि जाँच दल द्वारा ईट की गुणवत्ता सहीं पाया गया, छड़ उपयुक्त मुटाई के पाये गये तथा भवन निर्माण कार्य के प्लास्टर में कम सीमेंट का प्रयोग का आरोप गलत पाया गया है । तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच दल द्वारा दिनांक-08.06.2013 से दिनांक-10.06.2013 तक स्थलीय निरीक्षण किया गया था जबकि भवन निर्माण कार्य दिनांक-15.11.2008 को पूर्ण हो चुका था तथा दिनांक-12.12.2009 से भवन हस्तान्तरित है । जॉच दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन की कंडिका-1 में प्रतिवेदित किया गया है कि भवन में चिकित्सीय कार्य सम्पादित हो रहा है तथा भवन हस्तान्तरण के पश्चात तीन साल बाद भवन खड़ा है, कहीं कोई दरार नहीं पाया गया है । भवन में वार्षिक मरम्मति का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया । अभी तक उक्त भवन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है ।

संवेदक द्वारा अब तक अनेकों भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरित किया गया है यथा :-

1. अनुमंडलीय अस्पताल, किशनगंज- वर्ष 2006-07- रूपये 65.00लाख ।
2. अनुमंडलीय अस्पताल, कटिहार- वर्ष 2006-07- रूपये 105.00लाख ।
3. रेफरल अस्पताल, मनिहारी - वर्ष 2007-08- रूपये 270.00लाख ।
4. संयुक्त अनुमंडल कार्यालय, मनिहारी वर्ष 2008-09-रूपये 202.00लाख ।
5. आदर्श थाना भवन, मनिहारी वर्ष 2008-09- रूपये 112.00 लाख ।
6. आदर्श थाना भवन, फारविसगंज वर्ष 2008-09- रूपये 113.00लाख ।
7. 105 युनिट आवासीय भवन (रेलवे) वर्ष 2009-10- रूपये 710.00लाख ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-258 दिनांक-27.09.2016 सहपठित ज्ञापांक-9580(भ) दिनांक-27.09.2016 के द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-87

दिनांक-21.04.2016 सहपठित ज्ञापांक-3645(भ) दिनांक- 21.04.2016 द्वारा किये गये कालीकृत संबंधी आदेश को विलोपित किये गये संवेदक श्री अशोक कुमार के अपील आवेदन एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा के पश्चात सम्यक विचारोपरान्त संवेदक को कालीकरण से मुक्त किया जाता है ।

21/12/16

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन/अभि0प्र0(नि0)-01-निबंधन-182/2014- 12338 (भ) पटना, दिनांक-21.12.16

प्रतिलिपिः- श्री अशोक कुमार वल्द श्री आनन्दी प्रसाद, ग्राम- गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स, जिला-कटिहार, बिहार जिनका निबंधन संख्या- द्वितीय(व्यक्तिगत)/08(भवन)/2009-71(भवन)/2014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन/अभि0प्र0(नि0)-01-निबंधन-182/2014- 12338 (भ) पटना, दिनांक- 21.12.16

प्रतिलिपिः-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामणी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सीाी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन/अभि0प्र0(नि0)-01-निबंधन-182/2014- 12338 (भ) पटना, दिनांक-21.12.16

प्रतिलिपिः-आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

21/12/16

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव